

152

परिषद की वर्ष 1979 प्रथम बैठक
दिनांक 6-1-79

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर
दिनांक 6-1-79 को 10-300 बजे पूर्वान्ह हुई
उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1979 की प्रथम
बैठक की कार्यवृत्त।

उपस्थित

(1) श्री बी०जे०खोदायजी		अध्यक्ष
(2) श्री ए०पी०सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
(3) श्री गुलाब सेहरा	सदस्य विधान सभा	सदस्य
(4) श्री टी०एन०सिंह	एडवोकेट	सदस्य
(5) श्री राम औतार दीक्षित	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(6) श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(7) श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8) श्री मोहर सिंह	संयुक्त सचिव, स्थायत्त शासन विभाग।	सदस्य

क्र०सं०	विषय	संख्या	निर्णय
(1)	दिनांक 13-12-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1/(1)/79	परिषद की दिनांक 13-12-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 13-12-78 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	1/(2)/79	परिषद द्वारा बैठक दिनांक 13-12-78 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
(3)	मेरठ की गदरोड योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग (1166 टाइप) भवन सं०-बी०-39 श्री रोहिताश कुमार गोयल, मण्डलायुक्त के पक्ष में पुराने मूल्य पर आर्बिट्रट किया जाना।	1/(3)/79	परिषद द्वारा इसपद पर निर्णय अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया। आवास आयुक्त तथा संयुक्त सचिव, वित्त विभाग इन भवनों की कास्टिंग का परीक्षण करें तथा अपनी टिप्पणी अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।
(4)	मेरठ की गदरोड योजना सं०-2 टांसपीटनगर के अन्तर्गत टुक पार्किंग वेजु तथा बुकिंग स्पेसीज के लोज रेंट को घटाने के सम्बन्ध में।	1/(4)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि नीलामी द्वारा आर्बिट्रट की जाने वाली समस्त सम्पत्तियों का वार्षिक लोज रेंट 2% के बजाय 1/2% निर्धारित किया जाय।

[Handwritten Signature]

क० प०३०


1	2	3	4
(5)	सम्पत्ति प्रबन्ध की कार्य-पद्धति एवं लेखा प्रणाली में सुधार हेतु हठकी को कन्सल्टिंग सर्विसिज के सम्बन्ध में ।	1/(5)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(6)	दैनिक भत्तों के सम्बन्ध में ।	1/(6)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया ।
(7)	परिषद के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में टिप्पणी ।	1/(7)/79	परिषद द्वारा कार्य-कलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया ।
(8)	परिषद द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट ।	1/(8)/79	परिषद द्वारा कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।
(9)	बी०एच०ई०एल० के कर्मचारियों को आवासीय भवन बनाने की योजना के सम्बन्ध में ।	1/(9)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(10)	प्रथम कम्पोजिट हठकी शेषपुरा योजना लखनऊ ।	1/(10)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(11)	कम्पोजिट हाजसिंग प्रोजेक्ट टान्स जमुना ररिया आगरा ।	1/(11)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(12)	कम्पोजिट हाजसिंग प्रोजेक्ट स्कीम-7 मेरठ ।	1/(12)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(13)	कम्पोजिट हाजसिंग प्रोजेक्ट टान्स जमुना ररिया, आगरा (प्ल-11) ।	1/(13)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(14)	परिषद की बस्तौली गाजीपुर योजना में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर के भूखण्ड सं०-614 पर स्थित मन्दिर शिव चबूतरा तथा उससे सलग्न भूमि का अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	1/(14)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जिस भूखण्ड में मन्दिर बनबाया गया है उसे मन्दिर के लिये मुक्त कर दिया जाय । बिस्थापित व्यक्ति के तौर पर कैप्टन त्रिपाठी को एक भूखण्ड आर्बीट्रल कर दिया जाय ।
(15)	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वार्षिक भत्ता देने जाने के सम्बन्ध में ।	1/(15)/79	परिषद द्वारा यह आदेश दिया गया कि गवर्नमेन्ट रूल्स के अनुसार भत्ता स्वीकृत किया जाय ।
(16)	आशुलिपिकों के सेलेक्शन ग्रेड के सम्बन्ध में ।	1/(16)/79	परिषद द्वारा इस पद पर निर्णय स्थापित करते हुए यह आदेश दिया गया कि अन्य निगमों उ०प्र० राज्ज निदयुत परिषद, उ०प्र०जल निगम तथा उ०प्र० सेतु निगम से सेलेक्शन ग्रेड के बारे में पूरी सूचना प्राप्त की जाय ।
(17)	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा ।	1/(17)/79	परिषद इस प्रस्ताव को से सहमत है। शासन को इस विषय पर लिखा जाये।

Handwritten signature

1	2	3	4
(18)	अध्यक्ष/आवास आयुक्त के साथ सम्बद्ध आशुलिपिक श्री देबमनि तिवारी को विशेष वेतन की स्वीकृति ।	1/(18)/79	वर्तमान अध्यक्ष के साथ जो आशुलिपिक काम कर रहे हैं उनके संदर्भ में इस केस का पुनः परीक्षण किया जाये ।
(19)	आन्तरिक सम्परीक्षण विभाग के पुनर्गठन एवं आन्तरिक सम्परीक्षण की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में ।	1/(19)/79-	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(20)	मुरादाबाद की लाजपत नगर आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मध्यम तथा अल्प आय वर्ग के भवनों में से 25% भवन जन कल्याण गृह निर्माण समिति तथा अन्य पंजीकृत गृह निर्माण समितियों के पक्ष में आरक्षण ।	1/(20)/79	परिषद द्वारा विचार उपरान्त यह राय व्यक्त की गई कि इस मामले में और अधिक परीक्षण की आवश्यकता है । विस्तृत परीक्षण हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया गया :- 1- संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग । 2- सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद । 3- सहायक आवास आयुक्त (भूमि अर्जन) । 4- सहायक आवास आयुक्त (सम्पत्ति प्रबन्ध) उक्त समिति द्वारा सम्बन्धित सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को भी सूचना ली जाय तथा कार्यालय अभिलेख का परीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।
(21)	परिषद की बस्तोली गाजीपुर (राम सागर मिश्रा नगर) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फेजाबाद रोड, लखनऊ में समाविष्ट श्रीमती मालती सिंह के ग्राम गाजीपुर के खसरा नं०-494, 498, 499 कुल क्षेत्रफल 1 बीघा 13 बिघा की योजना से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में ।	1/(21)/79	इस विषय पर निर्माकित सदस्यों की समिति गठित की गई । समिति द्वारा स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत की जायगी । 1- आवास आयुक्त । 2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक 3- श्री टी०एन०सिंह, सदस्य
(22)	पाण्डेयपुर गृहस्थान योजना वाराणसी के सम्बन्ध में नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि ।	1/(22)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(23)	तालकटोरा आवास योजना लखनऊ के अन्तर्गत आबटिल तिमन्जिले भवनों के आबटियों के लिये अल्प आय वर्ग (एल० ए०/75 डिज़ाइन) के 20 भवनों का आरक्षण ।	1/(23)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(24)	राम सागर मिश्रा नगर योजना, लखनऊ में समाविष्ट सैयद फखरुल हसन की भूमि/भवन अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	1/(24)/79	विचार उपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समस्त पार्टियों के लिये कुल मिलाकर 1500 वर्गमीटर भूमि बौद्ध दी जाये ।
(25)	नहरबाग गौरापट्टी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फेजाबाद ।	1/(25)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

[Handwritten Signature]

1	2	3	4
(26)	आवास एवं विकास परिषद में वेतनक्रम 1250-1600/1300-1600 में अधिशासी अभियन्ता सेलेक्शन ग्रेड के एक पद का सृजन ।	1/(26)/79	विचार उपरान्त परिषद द्वारा यह आकांक्षा की गई कि शासन से अधिकृत सूचना प्राप्त करने का पुनः प्रयास किया जाय । तत्पश्चात् परिषद को प्रस्तुत हो
(27)	परिषद कर्मचारियों तथा परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को परिषद की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली विशेष सुविधायें ।	1/(27)/79	विचार उपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 10% की कूट तभी दी जायगी जब दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के पश्चात् आवंटन किया जाय । यदि श्री भटनागर कूट चाहते हैं तो पुराना आवंटन निरस्त करवा कर पुनः आवंटन के लिये आवेदन दे सकते हैं ।
(28)	द्वितीय वृत्त मेरठ के अन्तर्गत विदेश संचार सेवा देहरादून तथा बी०एच०ई०एल० योजना हरिद्वार का सामयिक संचालन ।	1/(28)/79	विचार उपरान्त परिषद द्वारा उप-समिति की रिपोर्ट पर अनुमोदन प्रदान करते हुये इस की पुष्टि की गई ।
(29)	16-ए०पी०सेन रोड, लखनऊ स्थित भूमि एवं भवन को परिषद की योजना हेतु क्रय करने के सम्बन्ध में ।	1/(29)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(30)	जी०टी०रोड योजना अलीगढ़ में स्थित श्री बनर्जी की भूमि ।	1/(30)/79	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । सड़क की तरफ दी जाने वाली अतिरिक्त भूमि का मूल्य 82/= प्रति वर्ग मीटर से कम न लिया जाय ।

पुष्टि की गई,

 29/3/79
 अध्यक्ष
 28/3/79